International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.in
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 76-80

सतना जिले के सोहावल विकासखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास का एक अध्ययन

डॉ. मन्जू कुषवाहा

प्राचार्य, मनोज जैन मेमोरियल शिक्षा महाविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र सतना जिले के सोहावल विकासखण्ड में प्रारंभिक शिक्षा विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास का एक अध्ययन पर आधारित है। शोध क्षेत्र में समस्या की वास्तविक स्थिति से तात्पर्य यह है कि शोधार्थी द्वारा चिन्हांकित समस्या का स्वरूप किस तरह का है? वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में भी भारत वर्ष के अन्य राज्यों की तरह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं मध्यप्रदेश राज्य नियम 2011 के अन्तर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जो पूर्व में गठित पालक शिक्षक संघ का स्थान लिया है। शाला प्रबंधन समिति का कार्य क्षेत्र लगभग वही है जो पालक शिक्षक संघ के थे। सतना जिले के सोहावल विकासखण्ड में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का स्तर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन प्रगति पर है।

शब्द कुँजी: सतना जिला, सोहावल विकासखण्ड, शाला प्रबंधन समिति एवं शैक्षिक विकास

1. प्रस्तावना

शिक्षा विकास की जननी है। शिक्षा के द्वारा अर्जित ज्ञान व्यक्ति को प्रकृति द्वारा दिये गये ऐसे उपहारो से परिचित कराता है जो कुछ समय पूर्व तक उसे विदित नही थे। इस नवीन तथ्यात्मक जानकारी को प्राप्त करके व्यक्ति अपनी सुविधा तथा उपयोग की नवीन जानकारी एकत्र करता है। नित ज्ञात हुई वैज्ञानिक तथा तकनीकी खोजों के कारण मनुष्य की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहे है। इसके अतिरिक्त अनेक सामाजिक एवं भौगोलिक बदलते कारक भी उसे परिवर्तित होने के लिए विवश कर रहे है।

शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जो मनुष्य की जन्मजात पाष्विक प्रवृत्तियों का शोधन करती है, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उसे जीवन की कला प्रदान करती है तथा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रकार शिक्षा मानव विकास हेतु परमावश्यक सिद्ध हुई है।

शिक्षा के क्षेत्र में असमानतायें पाई जाना एक सामान्य सी बात है। विशेषकर विकासशील देशों में सुविधाओं का असमान वितरण देखने में आता है। यह शिक्षा सुविधायें न केवल गुणवत्ता के मत से असमान है बल्कि शिक्षा की पहुंच के हिसाब से भी असमान पाई जाती है। आमतौर पर यह पाया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधायें शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार भी कम ही हो पाता है।

शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाकर राष्ट्र एवं समाज को अप्रत्यक्ष रूप में लाभ पहुँचाती है। वर्तमान युग मे शिक्षा का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। यही कारण है कि देश में साक्षरता आन्दोलन को बढ़ावा मिल रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ आर्थिक–सामाजिक ढाँचा तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, वहाँ शिक्षा को तात्कालिक दशाओं के अनुरूप बनाकर उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता को आज अधिक अनुभव किया जा रहा है। वर्तमान युग में अनेक परिवर्तन आने के कारण शिक्षा की अपेक्षाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। अतः समाज की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रक्रिया को बनाने के लिए इस क्षेत्र मे निरंतर शोध की आवश्यकता है। शैक्षिक समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए शोध की आवश्यकता होती है।

शाला प्रबन्धन समिति से अभिप्राय यह है कि किसी विद्यालय में निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक तथा उस विद्यालय के शिक्षकों का ऐसा संगठन जो विद्यालयीन समस्याओं के निदान तथा विकास के लिए कार्य करें, जिसमें न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता–पिता या अभिभावकों में से होंगे दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होगे। इसके अतिरिक्त स्कूल के वरिष्ठतम शिक्षक एवं शिक्षिका समिति के सदस्य होंगे और संस्था प्रमुख या वरिष्ठतम शिक्षक / शिक्षिकिा समिति के पदेन सचिव होंगे।

समिति, प्रायमरी स्कूल के लिए 18 सदस्यीय समिति होगी तथा मिडिल स्कूल के लिए 16 सदस्यीय समिति होगी। इसके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बालकों के माता–पिता या अभिभावकों में से होंगे। दो सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंग। स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य–सचिव होगा।

2. शोध शीर्षक में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण :

- **सतना जिला :–** मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्व में 29.58 एवं 25.12 अक्षांश उत्तर तथा 81.21 एवं 81.23 देशांतर पूर्व के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल 7502 किलो मीटर है। यह संभाग का एक राजस्व जिला है।
- **सोहावल विकासखण्ड :–** सतना जिले के 8 विकासखण्डों में से एक है। जिसका मुख्यालय जिले के पश्चिम दिशा में सतना नगर से 07 किलो मीटर दूरी पर है। यह नागौद, अमरपाटन, मैहर, उचेहरा, मझगवॉ व रामपुर बाघेलान की सीमाओं को स्पर्श करता है।
- **प्रारंभिक शिक्षा :** प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8वीं कक्षा की शिक्षा से है जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है जिसे (RTE) के अन्तर्गत अनिवार्य किया गया है।

- **शिक्षा का विकास :** शिक्षा के विकास से आशय यह है कि शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में विकास।
- **शाला प्रबंधन समिति :** शाला प्रबंधन समिति से अभिप्राय यह है कि किसी विद्यालय में निर्वाचित प्रतिनिधि, अभिभावक तथा उस विद्यालय के शिक्षकों का ऐसा संगठन जो विद्यालयीन समस्याओं के निदान तथा विकास के लिए कार्य करे।

3. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

प्रस्तुत शोध के महत्व का निर्धारण शोध हेतु पूर्व में सुनिश्चित किये गए उददेश्यों की प्रति पूर्ति पर आधारित है। इस दृष्टि से इस शोध कार्य के निम्नलिखित महत्व हैं :–

- शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

4. उद्देश्य

- शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।
- शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की स्थिति ज्ञात करना।

5. शोध की परिकल्पनायें :

1. शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
2. शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर में सार्थक वृद्धि हुई है।

6. शोध कार्य का परिसीमन व न्यादर्श :

शोध समस्या के विस्तृत होने के कारण एवं समय की सीमा के कारण शोध क्षेत्र का परिसीमन निम्नानुसार किया गया है:–

- **भौगोलिक परिसीमन :** समग्र का निर्धारण भौगोलिक सीमांकन के द्वारा ही संभव होता है। अतः इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु शोध क्षेत्र का सतना जिले के सोहावल विकासखण्ड में स्थित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उच्च प्राथमिक (पूर्व माध्यमिक) विद्यालयों तक परिसीमित किया है।
- **विषय वस्तु का परिसीमन :** शोधार्थी द्वारा द्वारा चयनित (विषय) प्रारंभिक शिक्षा हेतु संचालित विद्यालयों के शाला प्रबंधन समिति का शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक विकास में योगदान से संबंधित है।

न्यादर्ष :

शोध कार्य के न्यादर्श के रूप में सतना जिले के सोहावल विकासखण्ड के 10 प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, अभिभावको, शिक्षको एवं संस्था प्रमुखों का चयन निम्नानुसार किया गया है–

- संस्था प्रमुख/प्राचार्य –10
- शिक्षक संख्या –20 (प्रत्येक विद्यालय से 2–2 शिक्षक)
- अभिभावक संख्या –100 (प्रत्येक विद्यालय से संबंधित 10–10 अभिभावक)
- विद्यार्थी संख्या–100

7. अध्ययन विधि : प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया गया है–

- **सर्वेक्षण अध्ययन विधि :** सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शोध समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़े मुख्य तथा वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान स्तर की मान्य स्तर से तुलना तथा वर्तमान स्तर को विकसित करने में महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा तथ्यों, परिस्थितियों तथा गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **साक्षात्कार विधि :** शैक्षिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि के द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनो प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस अनुसंधान में भी शोधार्थी ने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।

8. शोध उपकरण :

शोधार्थी ने प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया है।

9. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से कौल, लोकेश (1998) [1], तिवारी ब्रह्मश्री (2010) [2], (RTE, 2011) [3] , पाठक, पी.डी. (1998) [4] एवं Gupta, V.P. and Pandey, L.N. (2003)[5] ने शोध विधि एवं प्रारंभिक शिक्षा के विकास में शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास से सम्बन्धित कार्य किये है।

10. सतना जिले का सामान्य परिचय

भारत के हृदय स्थल में बसा मध्यप्रदेश अपने आप में विभिन्न संस्कृतियों, पुरासम्पदाओं, प्राकृतिक सौंदर्यता, अनमोल धरोहरों, धार्मिक स्थलों, अनुपम कलाकृतियों से सुसज्जित है। सतना मध्यप्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा के मध्य स्थित वर्तमान रीवा संभाग का एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रधान जिला है। जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश का बाँदा जिला पूर्व में रीवा एवं सीधी जिला, दक्षिण में शहडोल व जबलपुर जिला, तथा पश्चिम में पन्ना जिला स्थित है। जिला अपनी धार्मिक विरासतों, औद्योगिक संस्थानों, सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिदृश्यों, प्रमुख वनोपज एवं खनिज के कारण सर्वोच्च शिखर पर है। जिला वीर, पराक्रमी, योद्धाओं, वीरांगनाओं, सेनानियों आदि से जाना पहचाना जाता है। सतना जिले का 23.58º-25.12º उत्तरी अक्षांश व 80.12º-81.23º पूर्वी देशान्तर तथा 370.00 मीटर समुद्र तल से ऊँचाई पर स्थित है।

11. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, जो निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्रमांक – 01 के सन्दर्भ में : "शोध क्षेत्र में गठित शाला प्रबंधन समिति का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।"

सारणी क्रमांक 1 : शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में प्रभाव का अध्ययन

स.क्र.	अभिमतदाता	न्यादर्ष मे चयनित संख्या	शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव से					
			सहमत		आशिंक सहमत		असहमत	
			संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत
1.	अध्यक्ष	10	10	100.00	-	-	-	-
2.	संस्था प्रमुख / सचिव	10	08	80.00	02	20.00	-	-
3.	सदस्य / अभिभावक	20	18	90.00	02	10.00	-	-
4.	शिक्षक	20	14	70.00	03	15.00	03	15.00
औसत				85.00		11.25		3.75

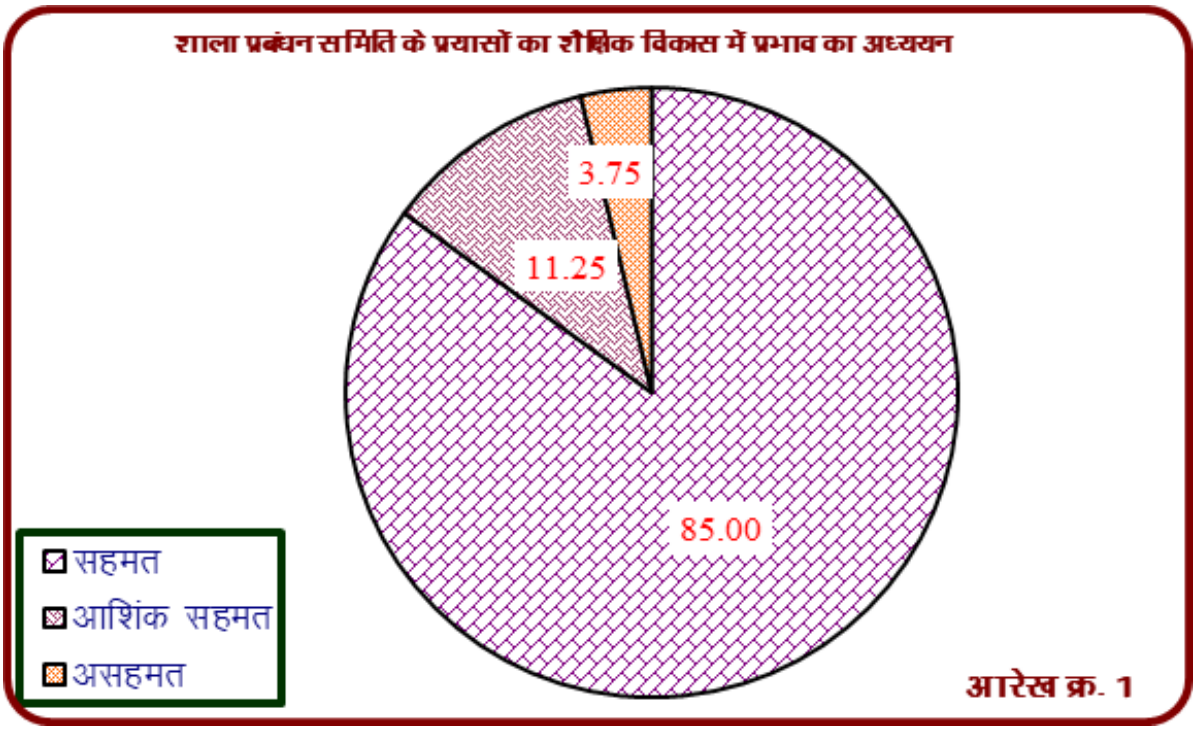

आकृति 1

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर शाला प्रबन्धन समिति के सहयोग से शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव से शत–प्रतिशत अध्यक्ष सहमत है। संस्था प्रमुख 80.00 प्रतिशत सहमत एवं 20.00 प्रतिशत आंशिक सहमत है। सदस्य/ अभिभावक 90.00 प्रतिशत सहमत एवं 10.00 प्रतिशत असहमत है। शिक्षक 70.00 प्रतिशत सहमत, 15.00 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं 15.00 प्रतिशत असहमत है।

इस प्रकार शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव से औसतन 85.00 प्रतिशत सहमत, 11.25 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 3.75 प्रतिशत असहमत है।

व्याख्या : अतः उक्त तालिका के विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों का शैक्षिक विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अतः परिकल्पना क्रमांक 01 सत्यापित होती है।

परिकल्पना क्रमांक – 02 के सन्दर्भ में : "शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर में सार्थक वृद्धि हुई है।"

सारणी क्रमांक 2.1 : न्यादर्श में चयनित विद्यालयों में 11 से 14 आयु वर्ग के छात्र/ छात्राओं के नामांकन वृद्धि का अध्ययन

सत्र	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	नामांकित छात्र/ छात्राओं की संख्या		
		कुल दर्ज संख्या (VER/WER में)	नामांकित संख्या (शाला में)	नामांकन दर प्रतिशत
2013-14	10	2115	2115	100.00
2014-15	10	2230	2230	100.00
2015-16	10	2286	2286	100.00

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका क्र. 2.1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि गत तीन वर्षो (2013–14 से 2015–16) में VER/WER में बच्चों की कुल दर्ज संख्या विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन की स्थिति में पाया गया है, जो नामांकन की सबसे उत्तम स्थिति है।

व्याख्या : गत तीन वर्षो (2013–14 से 2015–16) के ग्राम शिक्षा रजिस्टर एवं वार्ड शिक्षा रजिस्टर में दर्ज बच्चों की संख्या शत–प्रतिशत विद्यालयों में नामांकन की स्थिति में पाया जाना शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन दर की उत्तम स्थिति को दर्शाता है।

सारणी क्रमांक 2.2 : शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि का अध्ययन

स.क्र.	अभिमतदाता	न्यादर्ष मे चयनित संख्या	शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि से					
			सहमत		आशिंक सहमत		असहमत	
			संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत	संख्या	प्रतिषत
1.	अध्यक्ष	10	10	100.00	-	-	-	-
2.	संस्था प्रमुख / सचिव	10	10	100.00	-	-	-	-
3.	सदस्य / अभिभावक	20	15	75.00	04	20.00	01	5.00
4.	शिक्षक	20	18	90.00	02	10.00	-	-
औसत				91.25		7.5		1.25

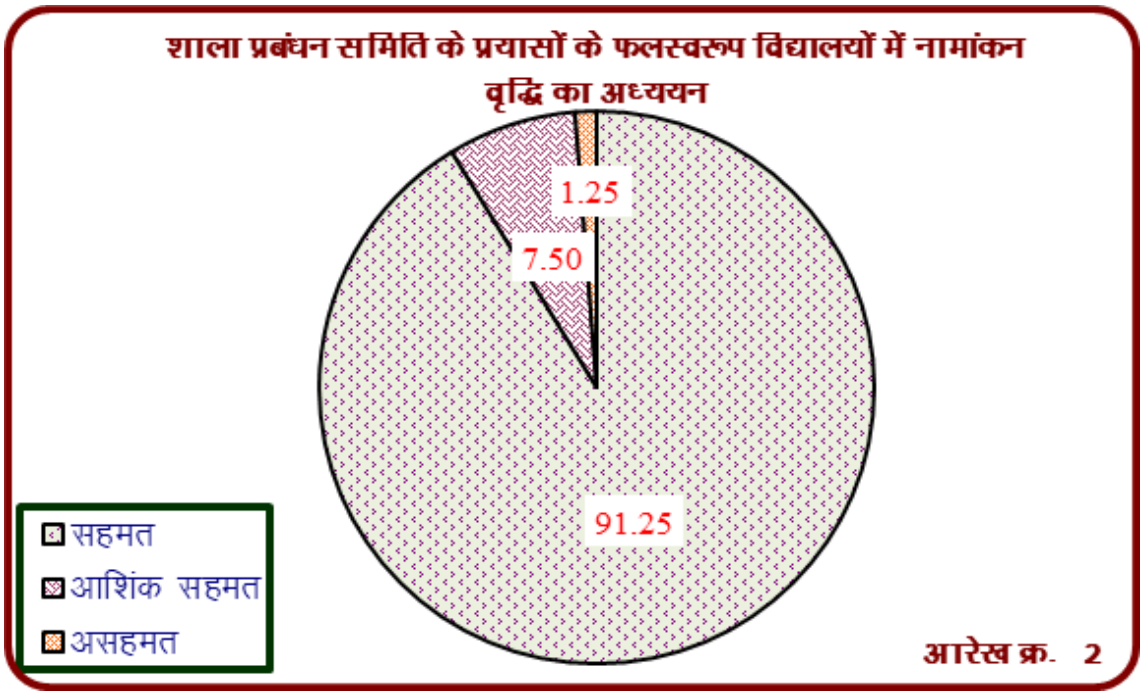

आकृति 2

विश्लेषण : उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप नामांकन वृद्धि से शत–प्रति शत अध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख सहमत है, सदस्य एवं अभिभावक 75.00 प्रतिशत सहमत, 20.00 प्रतिशत आंशिक सहमत एवं केवल 5.00 प्रतिशत असहमत है, जबकि शिक्षक 90.00 प्रतिशत सहमत एवं 10.00 प्रतिशत आंशित सहमत है।

इस प्रकार शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों के फलस्वरूप विद्यालयों में नामांकन वृद्धि से औसतन 91.25 प्रतिशत सहमत, 7.5 प्रतिशत आंशिक सहमत तथा 1.25 प्रतिशत असहमत है।

व्याख्या : अतः उक्त तालिका के विश्लेषण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि शाला प्रबंधन समिति के प्रयासों से विद्यालयों में नामांकन में सार्थक वृद्धि हुई है।

अतः परिकल्पना क्रमांक 02 सत्यापित होती है।

12. निष्कर्ष

शोध अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शाला प्रबंधन का सम्बन्ध मानवीय एवं भौतिक तत्वों से होता है। मानवीय तत्वों के तहत संस्था प्रमुख शिक्षक एवं समुदाय के सदस्य आते हैं। इनके आपसी प्रयासों से शाला की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने का प्रयास किया जाता है। भौतिक तत्वों के अन्तर्गत शाला भवन, साज–सज्जा, उपकरण सामग्री आदि आते हैं। शाला को सुचारू रूप से या व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए शाला में उपलब्ध भौतिक तत्वों एवं वातावरण का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) एवं मध्यप्रदेश नियम (2011) के तहत शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसका क्रियान्वयन सतना जिले के सोहावल विकासखण्ड के विद्यालयों में सफलतापूर्वक हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. कौल, लोकेश : शैक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिसिंग हाउस प्रा.लि. नई दिल्ली, 1998.
2. तिवारी ब्रह्मश्री : जन शिक्षा अधिनियम के तहत पालक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों की जानकारी का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन, एम.एड. लघु शोध प्रबन्ध, अ.प्र. सिंह वि.वि. रीवा, 2010.

3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) एवं म.प्र. सरकार द्वारा अधिसूचित नियम 26 मार्च 2011 (RTE).
4. पाठक, पी.डी. : भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1998.
5. Gupta VP, Pandey LN. Cooperation and participation of community, village education committeeand panchayat raj Institutions in Universalisation of Primary Education (UPE) Agra, India Psychological Review. 2003; 1(2):69-75.